कार्यालय औषधि नियंत्रण अधिकारी, हनुमानगढ़

क्रमांकः– 483-84 दिनांकः– 05.10.15

श्रीमान् औषधि नियंत्रक,
राजस्थान, जयपुर।

कार्यालय
14 OCT 2015
10952
क्रमांक ....

विषयः– सरकार बनाम मैसर्स बजरंग मेडिकल स्टोर्स आदि प्रकरण संख्या 115/2002 में निर्णय दिनांक 12.08.2015 के सम्बंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि उक्त वर्णित प्रकरण में श्रीमान् मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हनुमानगढ़ द्वारा दिनांक 12.08.2015 को अभियुक्त विनोद सिंह पुत्र पूर्ण सिंह जाति राजपूत निवासी गाँव पोस्ट ऑफिस अजीतपुरा, तहसील भादरा, जिला हनुमानगढ़ व अभियुक्त वेदप्रकाश शर्मा पुत्र श्री शिव कुमार निवासी गाँव पोस्ट ऑफिस अजीतपुरा, तहसील भादरा, जिला हनुमानगढ़ को औषधि एवम् प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 की धारा 27 (डी) के दोषसिद्ध आरोप में प्रत्येक अभियुक्त को एक साल के साधारण कारावास और 10,000/– के अर्थदण्ड, अदम अदायगी अर्थदण्ड एक माह के साधारण कारावास, औषधि एवम् प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 की धारा 27 (बी) (ii) के दोषसिद्ध आरोप में प्रत्येक अभियुक्त को एक साल के साधारण कारावास और 10,000/– के अर्थदण्ड, अदम अदायगी अर्थदण्ड एक माह के साधारण कारावास, औषधि एवम् प्रसाधन अधिनयिम 1940 की धारा 28 के दोषसिद्ध आरोप में प्रत्येक अभियुक्त को तीन माह के साधारण कारावास से दण्डित किया गया है।
सूचना आपकी सेवा में प्रेषित है।

संलग्नः निर्णय की प्रति।

(सुखदीप कौर)
औषधि नियंत्रण अधिकारी
हनुमानगढ़

क्रमांकः– दिनाकः–

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एंव प्रेषित है:–

1.श्रीमान् सहायक औषधि नियन्त्रक हनुमानगढ़ मय निर्णय की प्रति।

(सुखदीप कौर)
औषधि नियंत्रण अधिकारी
हनुमानगढ़

न्यायालय :– मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ़।

पीठासीन अधिकारी :– राजेश कुमार, आर. जे. एस.

राजस्थान राज्य बनाम

1. मैसर्स बजरंग मेडिकल स्टोर गांव पोस्ट ऑफिस अजीतपुरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ जरिये अभियुक्त सं. 2 व 3
2. विनोदसिंह पुत्र पूर्णसिह जाति राजपूत निवासी गांव पोस्ट ऑफिस अजीतपुरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
3. वेदप्रकाश शर्मा पुत्र शिवकुमार निवासी गांव पोस्ट ऑफिस अजीतपुरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।

–अभियुक्तगण

औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 की धारा 27 (डी), 27(बी)(II) तथा 28

उपस्थितिः सहायक लोक अभियोजक वास्ते राज्य ।
श्री राजेश रोकणा, अधिवक्ता, वास्ते अभियुक्तगण।

निर्णय दिनांक :–12.08.2015

1. परिवादी सुभाषचन्द्र औषधि निरीक्षक हनुमानगढ की ओर से अभियुक्तगण मैसर्स बजरंग मेडिकल स्टोर, विनोदसिंह वेदप्रकाश शर्मा के विरूद्ध परिवाद अंतर्गत धारा 27 व 28 औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 के आरोप में दिनांक 20.02.2002 को इस न्यायालय में पेश किया, जिस पर उक्त अभियुक्तगण के विरूद्ध उक्त धारा में प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया, जिसमें यह निर्णय पारित किया जा रहा है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्यों के अनुसार परिवादी सुभाषचन्द्र औषधि निरीक्षक हनुमानगढ ने उक्त अभियुक्तगण के विरूद्ध परिवाद पेश कर निवेदन किया कि गांव अजीतपुरा तहसील भादरा में बजरंग मेडिकल स्टोर के नाम से अवैध दवाईयों की चल रही दुकान के संबंध में रामचंद्र डायरेक्टर अजीतपुरा द्वारा की गई शिकायत की जांच के लिये मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी हनुमानगढ से आज्ञा प्राप्त कर वह सहायक संतराम के साथ राजकीय वाहन रजिस्ट्रेशन नं. आर. जे. 31 सी 1120 द्वारा बजरंग मेडिकल स्टोर गांव पोस्ट ऑफिस अजीतपुरा जिला हनुमानगढ पर दिनांक 07.08.2001 को दोपहर बाद 2.30 बजे दिन में पहुंचा, जहां

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ़ (राजस्थान)

विनोदसिंह उपस्थित मिला तथा उसने स्वयं को इस दुकान का मालिक होना व इस दुकान पर औषधियों का विकय करना बताया। इस दुकान पर एलोपैथिक औषधिया विकयार्थ संग्रहित व प्रदर्शित की हुई पाई गई। इस पर उसने विनोद सिंह को अपना परिचय दिया व यनिरीक्षण करने का उद्देश्य बताया व मौका पर उपस्थित रामकुमार तथा रामचन्द्र को गवाह मौतबिरान रखा गया। उसने गवाह मौतबिरान रामकुमार व रामचन्द्र के समक्ष दुकान का निरीक्षण करना शुरू किया। निरीक्षण के समय अभियुक्त संख्या–2 ने एलोपैथिक औषधियों के विकय, संग्रह, विकयार्थ प्रदर्शन के लिए अधिनियम के अंतर्गत वैध औषधि अनुज्ञा पत्र पास नहीं होना बताया तथा मौके पर दुकान में प्रदर्शित, संग्रहित औषधियों का कय विकय रिकॉर्ड भी प्रस्तुत नहीं किया तथा न ही बताया कि औषधियां कहां से प्राप्त की है। निरीक्षण के समय अभियुक्त संख्या–1 व 2 के पास अधिनियम के अंतर्गत औषधियां विकय, संग्रहित करने, विकयार्थ प्रदर्शन व वितरण के लिए वैध औषधि अनुज्ञा पत्र नहीं था तथा औषधियों के कय बिल नहीं दिलाये जो कि अधिनियम की धारा 18 (सी) व 18–ए का उल्लंघन है। अतः दुकान में रखी समस्त एलोपैकिक औषधियां मौतबिरान गवाह रामकुमार, संतराम तथा अभियुक्त संख्या–2 की उपस्थिति में नियमानुसार प्रपत्र 16 में जब्त कर ली गई व फर्द रिपोर्ट मौके पर निरीक्षक द्वारा तैयार की गई व औषधियों का विवरण प्रपत्र 16 में दिया हुआ है जो मौका पर तैयार किया गया व औषधियों को जो मौका से कब्जा में ली गई उन्हें गत्ते के डिब्बों में डालकर बंद की गई व डिब्बे को धागे से बांधकर सील किया। नमूना सील प्रपत्र 16 व फर्द रिपोर्ट पर लगाया तथा गवाहान व अभियुक्त संख्या–2 के हस्ताक्षर प्रपत्र 16, फर्द रिपोर्ट पर करवाये। प्रपत्र 16 की पुश्त पर कार्रवाई संबंधी बयान अभियुक्त संख्या–2 ने स्वयं लिखे। इस फर्द रिपोर्ट व प्रपत्र 16 की नकल अभियुक्त संख्या को मौके पर दी व इसकी रसीद असल फर्द रिपोर्ट, प्रपत्र 16 पर प्राप्त की गई। जब्त की गई औषधियों की सूचना न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ को दिनांक 08.08.2001 को अधिनियम की धारा 23 (5) (बी) के अंतर्गत देकर उचित कस्टडी आदेश हेतु प्रार्थना पत्र पेश करने पर न्यायालय ने आदेश कमांक 3067 दिनांक 08.08.2001 द्वारा जब्त औषधियां जो गत्ते के दो डिब्बो में सील की गई है, को उसे सील्ड अवस्था में सुरक्षित रखे जाने के आदेश दिये। उपरोक्त समस्त कार्यवाही की सूचना व फर्द रिपोर्ट फार्म 16 व कस्टडी आदेश की छाया प्रतियां मय पत्र औषधि नियंत्रक राजस्थान जयपुर को कार्यालय के पत्र कमांक डीआई/2001/290 दिनांक 08.08.2001 द्वारा भेजी गई तथा इस पत्र की प्रतिलिपि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी हनुमानगढ तथा

12/8/15
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ़ (राजस्थान)

सहायक औषधि नियंत्रक मुख्यालय चुरू को भी प्रेषित की गई व साथ में उपरोक्त कार्यवाही की छाया प्रतियां भी दोनों को भेजी गई। अभियुक्त सं. 2 को कार्यालय के रजिस्टर्ड पत्र कमांक डीआई/2001/299 दिनांक 13.08.2001 द्वारा सूचित किया गया कि यदि आपके पास औषधियां संग्रह, प्रदर्शन तथा विकय के लिये अधिनियम के तहत वैध औषधि अनुज्ञा पत्र या कोई अन्य प्रमाण पत्र जिसके तहत आपने औषधियों का संग्रह, प्रदर्शन तथा विकय कियाहै तो पत्र प्राप्ति के सात दिवस के अन्दर निरीक्षक के कार्यालय में प्रस्तुत करें तथा अधिनियम की धारा 18 ए के अंतर्गत यह भी अवगत करवाने हेतु लिखा गया कि जब्त की गई औषधियों को आपने कहां से प्राप्त किया था। कय बिलों की सत्यापित प्रतियों के साथ सूचना प्रस्तुत करें। जिस पर अभियुक्त सं. 2 का जबाब निरीक्षक को दिनांक 12.09.2001 को प्राप्त हुआ। जबाब में अभियुक्त सं. 2 ने दिनांक 07.08.2001 को उक्त वर्णित कार्यवाही होना स्वीकार किया तथा यह अवगत करवाया कि बजरंग मेडिकल स्टोर गांव अजीतपुरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ (अभियुक्त सं. 1) का संचालन डॉक्टर वेदप्रकाश शर्मा (अभियुक्त सं. 3) द्वारा किया जाता था। जब्त की गई औषधियां अभियुक्त सं. 3 की ही थी तथा औषधियां कहां से प्राप्त की थी। उसे पता नहीं है तथा वह दुकान परअभियुक्त सं. 3 के कहने पर दुकान का ख्याल रखने के लिये बैठा था तथा उसका मेडिकल स्टोर से कोई लेना देना नहीं है। इस संबंध में अभियुक्त सं. 2 ने जबाब के साथ अभियुक्त सं. 3 तथा अन्य ग्राम वासियों के शपथ पत्र संलग्न किये। अभियुक्त सं. 3 द्वारा दिये गये शपथ पत्र में भी दिनांक 07.08.2001 को निरीक्षक द्वारा की गई कार्यवाही को स्वीकार करते हुये अभियुक्त सं. 3 ने दवाईयां स्वयं की होना तथा स्वयं द्वारा कय किया जाना तथा इनका उपयोग अपने चिकित्साभ्यास में करना बताया। अभियुक्त सं. 2 से प्राप्त जबाब के आधार पर कार्यालय के रजिस्टर्ड पत्र कमांक डीआई/2001/348 दिनांक 17.09.2001 मय अभियुक्त सं. 3 द्वारा दिये गये शपथ पत्र की छाया प्रति द्वारा अभियुक्त सं. 3 को उकत वर्णित वस्तुस्थिति से अवगत कराते हुये सूचित किया कि यदि आपके पास औषधियों के संग्रह, प्रदर्शन तथा विकय के लिये अधिनियम के तहत वैध औषधि अनुज्ञा पत्र या कोई अन्य प्रमाण पत्र जिसके तहत आपने औषधियों का संग्रह, प्रदर्शन तथा विकय किया है, तो पत्र प्राप्ति के सात दिवस के अन्दर निरीक्षक के कार्यालय में प्रस्तुत करें तथा यह भी अवगत कराने हेतु लिखा गया कि जब्त की गई औषधियों को आपने कहां से प्राप्त किया था। कय बिलों की सत्यापित छाया प्रतियों के साथ सूचना प्रस्तुत करें तथा औषधियों के विकय/वितरण रिकार्ड की भी सत्यापित छायाप्रति भेजे। यह भी अवगत कराने

हेतु लिखा गया कि यदि आप रजिस्टर्ड मेडिक्ल प्रेक्टीशनर्स है तो आप अपनी शैक्षणिक योग्यता तथा रजिस्ट्रेशन संख्या से भी अवगत करावे। अभियुक्त सं. 3 से निरीक्षक को एक पत्र दिनांक 29.09.2001 को प्राप्त हुआ जिस पर दिनांक 21.09.2001 अंकित है। इस पत्र में अभियुक्त सं. 3 ने निरीक्षक द्वारा चाही गई सूचना उपलब्ध नहीं कराई परन्तु स्वयं को एक रजिस्टर्ड आयुर्वेद चिकित्सक बताया तथा लिखा कि उसने जो आपको सिफारिश पेश की वो आप रदद करें। इस पत्र के साथ अभियुक्त सं. 3 ने हिन्दी साहित्य सम्मलेन इलाहाबाद का पत्र संख्या 29 / 2055 / 1000 की छाया प्रति प्रेषित की। जिसमें कहीं पर भी वेद प्रकाश का नाम अंकित नहीं है तथा न ही अभियुक्त सं. 3 ने अपने पत्र में निरीक्षक के रजिस्टर्ड पत्र कमांक डीआई / 2001 / 348 दिनांक 17.09.2001 का उल्लेख किया। अभियुक्त संख्या–3 ने अपने जवाब में निरीक्षक के रजिस्टर पत्र कमांक डी.आई. / 2001 / 348 दिनांक 17.09.2001 का कोई उल्लेख नहीं किया। अतः रजिस्टर पत्र अभियुक्त संख्या 3 को प्राप्त हुआ या नहीं, इस संबंध में सूचना कार्यालय के पत्र कमांक डी.आई. / 2001 / 376 दिनांक 08.10.2001 के द्वारा डाक घर से चाहने पर उप डाकपाल हनुमानगढ़ जंक्शन ने दिनांक 11.12.2001 को अवगत कराया कि रजिस्टर पत्र अभियुक्त संख्या 3 को दिनांक 19.09.2001 को प्राप्त हो गया। अभियुक्त संख्या जो जवाब मय हिन्दी साहित्य सम्मेलन इलाहाबाद के पत्र की छायाप्रति के साथ प्रषित किया है। उस जवाब के आधारपर अभियुक्त संख्या 3 अधिनियम के नियम 2(ई.ई.) में परिभाषित रजिस्टर्ड मेडिकल प्रेक्टिशनर्स की परिभाषा में नहीं आता। औषधि नियंत्रक राजस्थान जयपुर ने अपने आदेश कमांक डी / सैल / हनुमानगढ़ / 2001 / 1068 दिनांक 04.12.2001 द्वारा निरीक्षक को इस प्रकरण में सक्षम न्यायालय में वाद पत्र प्रस्तुत करने के लिए अनुदेशित किया है। परिवाद के तथ्यों से अभियुक्त संख्या 1 से 3 ने अधिनियम की धारा 18 (ए) (VI), 18 (सी) तथा 18 (ए) का उल्लंघन किया है, जो धारा 27 (डी), 27 (बी) (II) तथा 28 के तहत दण्डनीय है। अंत में परिवाद पेश कर उक्त मुल्जिमान के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही किये जाने का निवेदन किया।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हनुमानगढ़ (राजस्थान)

3. विद्वान तत्कालीन पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा आरोप पूर्व साक्ष्य में पी. ड. 1 सुभाष चन्द्र को पेश किया।

12/8/15
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ़ (राजस्थान)

4. अभियुक्तगण विनोद सिंह व वेदप्रकाश को औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 की धारा 27 (डी), 27 (बी) (II) तथा 28 का आरोप अलग से विरचित कर सुनाया व समझाया गया तो आरोप को सुन समझकर अस्वीकार किया तथा अन्वीक्षा चाही।

5. अभियोजन पक्ष ने पी. डब्ल्यू 1 सुभाषचन्द्र, पी. ड. 2 पवन कुमार, पी. ड. 3 संतराम, पी. ड. 4 रामचन्द्र तथा पी. ड. रामकुमार को साक्ष्य में पेश किया तथा दस्तावेजी साक्ष्य में अधिसूचना असल प्रदर्श पी. 1, प्रमाणित प्रति प्रदर्श पी. 1 ए, असल आदेश प्रदर्श पी. 2, जिसकी फोटोप्रति प्रदर्श पी. 2 ए, रामचन्द्र डायरेक्टर का प्रार्थना पत्र प्रदर्श पी. 3, अनुमति पत्र प्रदर्श पी. 4, फार्म नम्बर 16 प्रदर्श पी. 5, फर्द रिपोर्ट प्रदर्श पी. 6, लोकबुक प्रदर्श पी. 7, जिसकी नकल प्रदर्श पी. 7 ए कस्टडी आदेश हेतु आवेदन प्रदर्श पी. 8, न्यायालय का आदेश प्रदर्श पी. 9, औषधि निरीक्षक हनुमानगढ़ का पत्र दिनांक 08.08.2001 प्रदर्श पी. 10, दिनांक 13.08.2001 प्रदर्श पी. 11, डाक रसीद प्रदर्श पी. 12, जवाब नोटिस प्रदर्श पी. 13, डॉक्टर वेदप्रकाश का शपथ पत्र प्रदर्श पी. 14, हल्फनामा धर्मपाल प्रदर्श पी. 15, हल्फनामा रामस्वरूप प्रदर्श पी. 16, हल्फनामा ताजमोहम्मद प्रदर्श पी. 17, हल्फनामा सोहनलाल 18, हल्फनामा पालाराम प्रदर्श पी. 19, हल्फनामा नत्थुराम प्रदर्श पी. 20, हल्फनामा शिवप्रसाद प्रदर्श पी. 21, हल्फनामा बलदेव सिंह प्रदर्श पी. 22, हल्फनामा पूर्णराम प्रदर्श पी. 23, हल्फनामा खेतराम प्रदर्श पी. 24, हल्फनामा लिच्छुराम प्रदर्श पी. 25, हल्फनामा शिवकुमार प्रदर्श पी. 26, हल्फनामा गुलाम मोहम्मद प्रदर्श पी. 27, हल्फनामा रामकुमार प्रदर्श पी. 28, हल्फनामा ओमप्रकाश प्रदर्श पी. 29, हल्फनामा दिवान सिंह प्रदर्श पी. 30, हल्फनामा विनोद सिंह प्रदर्श पी. 31, लिफाफा प्रदर्श पी. 32, औषधि निरीक्षक हनुमागनढ़ का पत्र दिनांक 17.09.2001 प्रदर्श पी 33, डाक रसीद प्रदर्श पी. 34, वेदप्रकाश द्वारा दी गई सूचना प्रदर्श पी. 35, हिन्दी साहित्य सम्मेलन इलाहाबाद के पत्र की प्रति प्रदर्श पी. 36, डाक लिफाफा प्रदर्श पी. 37, औषधि निरीक्षक हनुमानगढ़ का पत्र दिनांक 08.10.2001 प्रदर्श पी. 38, डिलीवरी प्रमाण पत्र प्रदर्श पी 39, औषधि नियंत्रक राजस्थान जयपुर का पत्र प्रदर्श पी. 40 व परिवाद पत्र प्रदर्श पी. 41 को प्रदर्शित करवाये गये तथा साक्ष्य अभियोजन समाप्त हुई।

6. अभियुक्तगण के बयान अंतर्गत धारा 313 दण्ड प्रकिया संहिता लिये गये। उसकी ओर से साक्ष्य प्रतिरक्षा पेश नही हुई।

7. बहस अंतिम उभय पक्ष सुनी गई। विद्वान सहायक लोक अभियोजक का कहना है कि अभियोजन साक्ष्य से अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराध संदेह से परे साबित है। अतः अभियुक्तगण को आरोपित अपराध के लिये दोषसिद्व करते हुये दण्डित किया जावे। जबकि वकील अभियुक्तगण ने इसका विरोध करते हुये कहा कि जिस दुकान मैसर्स बजरंग मेडिकल स्टोर से अंग्रेजी दवाईयां जब्त करना बताया है, उस दुकान के स्वामी अभियुक्तगण विनोद व वेदप्रकाश नहीं है। इस

दुकान का स्वामी बजरंग था, जो कि विनोद को दुकान पर बैठाकर चला गया था और उसी समय औषधी विभागवाले आ गये और उनके द्वारा मौके की कार्रवाई कर ली गई। मौतबिर गवाह यह कह रहे हैं कि उन्हें नहीं पता कि मौके पर क्या लिखा–पढ़ी की गई। उन्होंने तो केवल हस्ताक्षर किये थे। गांववालों ने इस संबंध में शपथ–पत्र प्रदर्श पी 15 से प्रदर्श पी 31 भी दिये हैं कि यह दुकान अभियुक्त विनोद कुमार की नहीं थी। यह मुकदमा चुनावी रंजिश की वजह से रामचन्द्र व रामकुमार के द्वारा झूठा दर्ज करवाया गया है और झूठी शिकायत की गई है। क्योंकि अभियुक्तगण ने रामकुमार व रामचन्द्र को वोट नहीं दिये थे। साक्ष्य गवाही में पेश गवाह डी. ड. 1 ओमप्रकाश व डी.ड. 2 गुलाम मोहम्मद भी यह कथन दोहरा रहे हैं। अतः अभियुक्तगण विनोद कुमार व वेदप्रकाश को आरोपित अपराध से दोषमुक्त घोषित किया जावे।

8. मैने विचार किया। पत्रावली का अवलोकन किया। न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु है कि :–

क्या दिनांक क्या दिनांक 07.08.2001 को दोपहर 2.30 गांव अजीतपुरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ में बजरंग मेडिकल स्टोर में अभियुक्त विनोद के अनन्य व संज्ञान कब्जे से एलोपैथिक औषधियां विक्रयार्थ संग्रहित व प्रदर्शित की हुई पाई गई और इस दुकान का स्वामी वेदप्रकाश भी था और यह एलोपैथिक दवाईयां बिना किसी लाईसेंस के संग्रहित, प्रदर्शित व विक्रयार्थ हेतु रखी जा रही थी।

9. इस संबंध में अभियोजन साक्षी पी. ड. 1 सुभाष चंद की साक्ष्य अनुसार वह औषधी एवं प्रसाधन सामग्री अधि0 1940 के तहत राजस्थान राज्य के लिए विधिवत नियुक्त निरीक्षक है, जिसकी अधिसूचना राजस्थान राज्य पत्र दिनांक 26.02.1997 द्वारा प्रदर्शित हो चुकी है, जिसकी असल प्रदर्श पी 1 है, जिसकी प्रमाणित प्रति पत्रावली में प्रदर्श पी 1 ए है। वह शासन उपसचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राजस्थान के आदेश दिनांक 24.02.1997 द्वारा हनुमानगढ़ जिले के लिए औषधी निरीक्षक के पद पर पदस्थापित था। उसका अधिकार क्षेत्र समस्त हनुमानगढ़ जिला था। असल आदेश प्रदर्श पी 2 है, जिसकी फोटोप्रति पत्रावली में प्रदर्श पी 2 ए है। वह हनुमानगढ़ जिले में 26 फरवरी 1997 से 11 जून 2002 तक औषधी निरीक्षक के पद पर पदस्थापित रहा। दिनांक 01.08.01 को रामचंद्र डायरेटर अजीतपुरा तह0 भादरा ने एक प्रार्थना पत्र प्रदर्श पी 3 उसे इस आशय का दिया कि गांव अजीतपुरा में बजरंग मेडिकल स्टोर के नाम से अवैध दवाईयों की दुकान चल रही है, जिसका उसके पास कोई लाइसेंस नहीं है। इस दुकान का

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
12/8/15
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ़ (राजस्थान)

मालिक विनोद सिंह पुत्र पूर्णसिंह है, जो खुद स्वयं ही दवाईयां बेचता है। इस पर उसने सी.एम.एच.ओ हनुमानगढ़ को इस प्राप्त शिकायत की जांच करने हेतु अजीतपुरा जाने के लिए अनुमति चाही, जो पत्र प्रदर्श पी 4 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। इस पर सी.एम.एच.ओ. हनुमागनढ़ ने प्रदर्श पी 4 पर सी से डी अनुमति जारी की व राजकीय वाहन भी उपलब्ध करवाया, ई से एफ भीमसिंह कडवासरा तत्कालीन सी.एम.एच.ओ. के हस्ताक्षर है जिन्हें वह पहचानता है। दिनांक 07.08.2001 को वह राजकीय वाहन नं0–आरजे 13 सी 1120 द्वारा संतराम सहायक के साथ दोपहर 2.30 पर गावं अजीतपुरा पहुंचा। गांव में फर्म मैं0 बजरंग मेडिकल स्टोर पर पहुंचने पर पाया कि दुकान में एलोपैथिक औषधियां विकयार्थ संग्रहित कर प्रदर्शित पाई, दुकान पर बैठे व्यक्ति को अपना परिचय देकर उसका नाम पता पूछा, तो उसने स्वयं को फर्म का मालिक बताया तथा अपना नाम विनोद सिंह पुत्र पूर्णसिंह गांव अजीतपुरा बताया। विनोद से मौका पर एलोपैथिक औषधियां के संग्रह प्रदर्शन, कय विकय के लिए अधि0 के तहत औषधी अनुज्ञा पत्र के बारे में पूछा तो उसने बताया कि उसके पास औषधी अनुज्ञा पत्र नहीं है तथा वह इस दुकान पर औषधियों के कय विकय का कार्य करता है। दुकान में पाई गई औषधियों के कय विकय विवरण तथा रिकॉर्ड प्रस्तुत नहीं किया और न ही बताया कि औषधियां कहां से प्राप्त की है। जिस पर दो गवाहों रामकुमार सरपंच गांव अजीतपुरा तथा रामचंन्द्र डायरेक्टर गांव अजीतपुरा की उपस्थिति में दुकान में पाई गई समस्त एलोपैथिक औषधियों को जब्त कर उनका विवरण फार्म 16 में अंकित किया जो प्रदर्श पी 5 है, जो तीन पेजों में है, जिस पर 57 प्रकार की औषधियों का विवरण दर्ज है। फार्म 17 पर ए से बी कुल 4 स्थानों पर उसके हस्ताक्षर है, एक्स स्थान पर नमूना सील है, सी से डी तीन स्थानों पर विनोद सिंह के हस्ताक्षर है, ई से एफ तीन स्थानों पर गवाह रामकुमार के हस्ताक्षर है, जी से एच गवाह रामचंद्र के तीन स्थानों पर हस्ताक्षर, आई से जे तीन स्थानों पर सहायक संतराम के हस्ताक्षर है, के से एल विनोद सिंह के फार्म 16 के तीनों पेज प्राप्त करने के हस्ताक्षर, एम से एन विनोद सिंह द्वारा लिखवाया गया दुकान का नाम व पता है, जिसमें उसने स्वयं को मालिक लिखा है। मौके पर जो फर्द रिपोर्ट लिखी गई वह प्रदर्श पी 6 है जिस पर एक्स स्थान पर नमूना सील अंकित है, ए से बी उसके हस्ताक्षर है, सी से डी गवाह रामकुमार, ई से एफ गवाह रामंचद्र, जी से एच विनोद सिंह, आई से जे संतराम के हस्ताक्षर है, के से एल विनोद सिंह के रिपोर्ट प्राप्ति के हस्ताक्षर, एम से एन विनोद सिंह द्वारा लिखा गया दुकान का नाम बजरंग मेडिकल स्टोर गांव अजीतपुरा पता है, जो उसने स्वयं ने लिखा है। मौके

12/8/15

पर जब्त की गई समस्त एलोपैथिक औषधियां जिनका विवरण फार्म 16 पर अंकित है को गवाहों की उपस्थिति में गत्ते के दो डिब्बों में डालकर सील मोहर किया गया, सील्ड गत्ते के डिब्बे आर्टिकल 1 और 2 है, जिन पर एक्स स्थान पर नमूना सील है, ए से बी उसके हस्ताक्षर है सी से डी गवाह रामकुमार, ई से एफ गवाह रामचंद्र, जी से एच संतराम के, आई से जे विनोद सिंह, के से एल विनोद सिंह द्वारा लिखा गया दुकान का नाम व पता है। जिसमें विनोद सिंह के स्वयं को मालिक लिखा है। उक्त समस्त कार्यवाही शाम 7.30 बजे खत्म हुई। गांव अजीतपुरा राजकीय वाहन से जाने की लॉग बुक प्रदर्श पी 7 है, जिसकी नकल पत्रावली में प्रदर्श पी 7 ए है, जो दो पेजों में है, इस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है तथा सी से डी ड्राईवर पवन कुमार के हस्ताक्षर, ई से एफ गांव अजीतपुरा जाने का इन्द्राज है। दिनांक 08.08.2001 को न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने जब्त औषधियों की सूचना व कस्टडी ओदश प्रदान करने हेतु आवेदन पेश किया, जो प्रदर्श पी 8 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। जिस पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने जब्त औषधियों के सील्ड डिब्बों की सुरक्षित रखे जाने के आदेश दिये जो प्रदर्श पी 9 है। दिनांक 08.08.2001 को उक्त की गई समस्त कार्यवाही की सूचना औषधी नियंत्रक राजस्थान, जयपुर को रिपोर्ट फार्म 16 तथा कस्टडी ओदश छायाप्रतियों के साथ प्रेषित की जो प्रदर्श पी 10 है जिस पर दो स्थानों पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। इस पत्र की प्रतिलिपि श्रीमान सी.एम.एच.ओ. हनुमानगढ़ तथा श्रीमान सहायक औषधी नियंत्रक मुख्यालय, चुरू को भी प्रेषित की गई। दिनांक 13.08.2001 को उसने विनोद सिंह को रजिस्टर्ड पत्र लिखकर दिनांक 07.08.2001 को जब्त की गई औषधियों के संबंध में औषधी अनुज्ञा पत्र के संबंध में सूचना चाही तथा यह भी अवगत करवानेके लिए लिखा कि आपने औषधियां कहा से प्राप्त की। क्रय बिलों की सत्यापित प्रतियां भेजें, पत्र प्रदर्श पी 11 है, जिस पर दो स्थानों पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। पत्र की प्रतिलिपि औषधी नियंत्रक राज0 जयपुर को प्रेषित की गई। रजिस्टर पत्र विनोद सिंह को रजिस्टर्ड डाक द्वारा भेजने पर डाकखाने द्वारा जारी रसीद प्रदर्श पी 12 है, उक्त पत्र के संबंध में विनोद सिंह का जवाब दिनांक 10.09.2001 उसे दिनांक 12.09.2001 को प्राप्त हुआ, जिस पर प्रदर्श पी 13 डाला गया जो तीन पेजों में है तथा जिसके साथ अन्य हलफनामें भी संलग्न है। उसे दिनांक 12.09.2001 को प्राप्त हुआ, जिस पर ए से बी उसके प्राप्ति हस्ताक्षर है। जिसमें विनोद सिंह ने अवगत करवाया कि मेडिकल स्टोर का संचालन डॉक्टर वेद प्रकाश शर्मा अजीतपुरा द्वारा किया जाता था तथा दिनांक 07.08.2001 को की गई समस्त कार्यवाही को स्वीकार करते हुये

12/8/15
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ़ (राजस्थान)

अवगत करवाया कि औषधियां कहां से प्राप्त की गई है, इसका उसे पता नहीं है। पत्र के साथ वेद प्रकाश का हलफनामा जो प्रदर्श पी 14 है भी प्राप्त हुआ। जिसमें वेद प्रकाश ने लिखा कि दिनांक 07.08.2001 को विनोद सिंह जो दवाईयां जब्त की गई हैं, वह उसकी है। उनका कय भी उसने किया है तथा फार्म 16 तथा फर्द रिर्पोट प्राप्त होना अवगत करवाया। पत्र के साथ प्राप्त धर्मपाल का शपथ पत्र प्रदर्श पी 15, रास्वरूप का शपथ पत्र प्रदर्श पी 16, ताज मोहम्मद का शपथ पत्र प्रदर्श पी 17, सोहनलाल का शपथ पत्र प्रदर्श पी 18, पालाराम का शपथ पत्र प्रदर्श पी 19, नत्थूराम का शपथ पत्र प्रदर्श पी 20, शिव प्रसाद का शपथ पत्र प्रदर्श पी 21, बलदेव सिंह का शपथ पत्र प्रदर्श पी 22, पूर्णराम का श्यापथ पत्र प्रदर्श पी 23, खेताराम का शपथ पत्र प्रदर्श पी 24, लिच्छूराम का शपथ पत्र प्रदर्श पी 25, शिव कुमार का शपथ पत्र प्रदर्श पी 26, गुलाम मोहम्मद का शपथ पत्र प्रदर्श पी 27, रामकुमार का शपथपत्र प्रदर्श पी 28, ओमप्रकाश का शपथपत्र प्रदर्श पी 29, दीवान सिंह का शपथ पत्र प्रदर्श पी 30, विनोदसिंह का शपथपत्र प्रदर्श पी 31 है। उक्त शपथ पत्रों में बजरंग मेडिकल स्टोर से विनोद सिंह का कोई लेना देना न होना और डॉ वेद प्रकाश का होना अवगत करवाया है। प्रदर्श पी 32 लिफाफा है, जिसमें विनोद सिंह का जवाब प्राप्त हुआ। उक्त पत्र के आधार पर दिनांक 17.09.200- को डाक्टर वेद प्रकाश शर्मा गांव अजीतपुरा को रजिस्टर्ड पत्र लिखागया, जो प्रदर्श पी 33 है, जो दो पेजों में है, जिस पर ए से बी तीन स्थानों पर उसके हस्ताक्षर है। इस पत्र में दिनांक 07.08.2001 को की गई कार्यवाही तथा विनोद सिंह से प्राप्त पत्र का उल्लेख करते हुये यह अवगत कवाने हेतु लिखा गया कि यदि आपके पास औषधी अनुज्ञा पत्र या कोई अन्य प्रमाण पत्र जिसके तहत आपने एलोपेथिक औषधियों का विकय संग्रह तथा प्रदर्शन किया, उसकी सत्यापित प्रतियां भेजें। जब्त औषधियों को आपने कहां से प्राप्त किया, कय बिलों को सत्यापित सहायक प्रतियों के साथ अवगत करावे। औषधियों के विकय/वितरण रिकॉर्ड की छायाप्रति प्रेषित करने हेतु लिखा तथा यह भी लिखा की यदि आप रजिस्टर्ड मेडिकल प्रक्टिशनर्स है, तो आप अपनी योग्यता तथा रजिस्ट्रेशन संख्या से अवगत करावें तथा शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाणपत्र तथा रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र की सत्यापित छया प्रतियां भी भेजें। इस पत्र की प्रतिलिपि औषधि नियत्रक राजस्थान जयपुर को भी प्रेषित की गई। डाक्टर वेद प्रकाश को उक्त पत्र रजिस्टर्ड डाक द्वारा भेजने पर डाकखाने द्वारा जारी रजिस्ट्री रसीद प्रदर्श 34 है, दिनांक 29.09.2001 को वेद प्रकाश शर्मा का पत्र दिनांक 21.9.2001 प्राप्त हुआ जो प्रदर्श पी 32 है, जिस पर ए से बी उसके प्राप्ति हस्ताक्षर है। इस पत्र द्वारा वे प्रकाश ने

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ़ (राजस्थान)

उसे आगे की कार्यवाही ने करने की धमकी देते हुये अवगत करवाया कि विनोद कुमार के मालिक बजरंग मेडिकल स्टोर को आपने जो शिकायत दर्ज की है वो सही मानी जावे और बकायदा उसकी सजा कर दी जावे के बारे में अवगत करवाया तथा लिखा कि वह आयुर्वेद चिकित्सक है परंतु अपनी योग्यता के संबंध में तथा रजिस्ट्रेशन संख्या के बारे में अवगत नहीं करवाया। पत्र के साथ हिन्दी साहित्य सम्मेलन इलाहाबाद के पत्र की फोटोकॉपी संलग्न जो प्रदर्श पी 36 है जिस पर कहीं भी वेद प्रकाश का नाम अंकित नहीं है। वेद प्रकाश शर्मा का जवाब जिस लिफाफे मे प्राप्त हुआ वह प्रदर्श पी 37 है, दिनांक 08.10.2001 को पोस्ट मास्टर हनुमानगढ़ जं0 को यह अवगत करवाने हेतु लिखा गया कि प्रदर्श पी 33 डाक्टर वेद प्रकाश को पास हुआ या नहीं, डाकखाने को लिखा गया पत्र प्रदर्श पी 38 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है तो सब पोस्ट मास्टर, हनुमानगढ़ जं0 ने अवगत करवाया कि प्रदर्श पी 33 दिनांक 19.09.2001 को श्री वेद प्रकाश को प्राप्त हो गया है, प्राप्त पत्र प्रदर्श पी 39 है पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है, जो प्राप्ति हस्ताक्षर हैं। औषधी नियंत्रक राजस्थान जयपुर ने अपने आदेश दिनांक 04.12.2001 द्वारा दिनांक 07.08.2001 को बजरंग मेडिकल स्टोर अजीतपुरा से जब्त की गई दवाईयों के प्रकरण में वाद दायर करने हेतु अनुदेशित किया, जो प्रदर्श पी 40 है पर ए से बी श्री पी.एन. सारस्वत औषधी नियंत्रक राजस्थन जयपुर के हस्ताक्षर है, जिन्हें वह पहचानता है। उक्त आदेश की अनुपालना में माननीय न्यायालय द्वारा न्यायिक मजिस्ट्रेट हनुमानगढ़ ने बजरंग मेडिकल स्टोर, विनोद सिंह व वेद प्रकाश शर्मा गांव पोस्ट ऑफिस अजीतपुरा के विरूद्ध औषधी एवं प्रसाधन सामग्री अधि0 1940 के तहत इस्तगासा दायर किया गया, जो प्रदर्श पी 41 है जो छः पेजों में है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। प्रदर्श पी 5 पीछे श्री विनोद सिंह द्वारा दिनांक 07.08.2001 को लिखी गई इबारत है जो ए से बी है जिसमें उसने बयान किया है कि वह गावं अजीतपुरा में बजरंग मेडिकल स्टोर के नाम से दवाई की दुकान चला रहा था, जिसका दिनांक 07.08.2001 को औषधी निरीक्षक हनुमानगढ़ द्वारा निरीक्षण किया गया, उसके पास औषधियों के संग्रह तथा प्रदर्शन के लिए औषधी लाइसेंस नहीं है तथा ना ही मौका पर औषधियों का क्रय विक्रय पेश कर सका, वह दुकान पर एलोपैथिक औषधियों का विक्रय करता है। उसके पास लाइसेंस न हाने के कारण दुकान में रखी समस्त एलोपैथिक औषधियों जिनका विवरण फार्म 16 में है उसकी, गवाहों की उपस्थिति में निरीक्षक द्वारा जब्त कर उसके सामने गत्ते के दो कार्टून में डालकर धागे से बांधकर सील मोहर किया व कार्टून पर उसने हस्ताक्षर किये हैं, इस पर सी से डी विनोद सिंह के हस्ताक्षर

हैं ई से एफ विनोद सिंह द्वारा लिखित दुकान का नाम व पता है जिसमें उसने स्वयं को मालिक लिखा है। दो सीलबंद कार्टून जिस पर कई स्थानों पर सील चपडी लगाकर सीलबंद किया हुआ है व उसकी नमूना सील से सीलबंद किया हुआ है दोनों कार्टून सील्ड अवस्था में है। दोनों सील्ड कार्टूनों को खोला गया जिसमें से निम्न औषधियों पाई गई:-

क सं	दवाई का नाम	बैच नं0	मात्रा
1	सिरप डैक्सोरेंस	डीए 23	5X200 एम.एल.
2	सिरप डेक्सोरेंस	के 1098	4X200 एम.एल.
3	ऐलाग्जर नियोगेडिन	डब्ल्यू 1055	3X300 एम.एल.
4	ओस्टोकेल्सियम बी 12 सिरप	एनबी 200	3X200 एम.एल.
5	सिरप आरबिटोन	301/01	3X200 एम.एल.
6	सिरप ग्लोअप-12	जीओपी 004	3X225 एम.एल.
7	सिरप ज्युकोमोल	जे-122 के	7X50 एम.एल.
8	सिरप आरबिटोन	आरटी-24	2X200 एम.एल.
9	सिरप जाईमेक्स	1 एल 0	1X200 एम.एल.
10	सिरप फास्फोमिन आयरन	ओ सी 1488	1X250 एम.एल.
11	सिरप सिडेक्ट्रस	90066	2X100 एम.एल.
12	सिरप सिटोल	सीएस-3 केओजी	2X100 एम.एल.
13	सिरप सस्पेन्शन क्लोरोमाईसेटिन पामोटेड	187	1X60 एम.एल.
14	सिरप क्लोरिन फेनिकोओरल सस्पेन्शन आई.पी.	9001	2X60 एम.एल.
15	सिरप सस्पेन्शन मेटोपोल	एमईआर 023	2X60 एम.एल.
16	सिरप अमोक्सोलीन ड्राईसिरप	एएम 2007	4X9.9 ग्राम
17	सिरप सस्पेन्शन क्विनोबिड-एम	ओएमएस 044	4X30 एम.एल.
18	सिरप सस्पेन्शन लेरीगो	0013 डीओआर	4X60 एम.एल.
19	सिरप सस्पेन्शन लेरीगो	0003 डीओआर	2X60 एम.एल.
20	सिरप रीनोस्टेट	02 आर 0006	2X30 एम.एल.
21	सिरप अस्थालिन	सी 9 0209	1X100 एम.एल.
22	सिरप थिकोअथालिन	सीएस 0178	2X100 एम.एल.
23	सिरप साईनिन	एसएस ई-01	2X100 एम.एल.
24	सस्पेन्शन प्रोथरोकैम	ईकेएस 1001 बी	3X60 एम.एल.
25	सिरप ऐल्कासिल	एएसके-174	2X100 एम.एल.
26	सिरप प्रोटोन	के 636	1X460 एम.एल.

12/8/15
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ़ (राजस्थान)

27	लिक्विड एजीथ्रल 100	एलए–0 1264	4X15 एम.एल.
28	एमपीसीलिन ड्राई सिरप	1261	2X125 एम.जी.
29	सस्पेन्शन रोसिसिलोन	9010292	2X6 ग्राम
30	ड्रोप बेटासोल	3464	4X15 एम.एल.
31	सस्पेन्शन डोम्पेरोन	के–0012	4X25 एम.एल.
32	ड्रोप कोल्डोमिन	394	3X10 एम.एल.
33	डेन्टोन माउथवास	डीईएन–200	2X15 ग्राम
34	सस्पेन्शन ए बी डी	ए 003	4X10 एम.एल.
35	एलबेन्डोन सस्पेन्शन	एएस–38	5X10 एम.एल.
36	इंजेक्शन विटामाईल(वैट)	वीएस 04	2X30 एम.एल.
37	इंजेक्शन जोबिट	ओएच 6313	2X30 एम.एल.
38	इंजेक्शन माल्टोजिन	एमए–22	4X30 एम.एल.
39	कैप्सुल नोवा क्लोस	एम 10011	2X9 केप्सूल
40	टेबलेट कॉप्लोनेक्स 800	52	2X10 एम.एल.
41	टेबलेट कॉम्बूटोस 1000	सी 000007	2X100 एम.एल.
42	कैप्सूल ईवोयोन 400	जी 2462000	10 केप्सूल
43	इंजेक्शन मेट्रोजील	सी 1213	5X100 एम.एल.
44	ओआरएस इलेक्ट्रोल	909	6X36 ग्राम
45	ओआरएस इलेक्ट्रोल	ईएलएच 00520	5X35 ग्राम
46	टेबलेट कोम्बीफलेम	जी 267	85 टेबलेट
47	इंजेक्शन डिक्लोस	डीआईसी–833ए	2X3 एमएसएम्प्यूट
48	टेबलेट डिक्सोफार	डीकेटी–एच01	148 टेबलेट
49	टेबलेट बानाल्जिन	टी–55	88 टेबलेट
50	टेबलेट मोक्सिनटा 250 डीटी	ए 057	9X10 टेबलेट
51	टेबलेट साईक्लोपास डी	सीबी–02	14X10 टेबलेट
52	टेबलेट पेरासीप 500	एएम–0887	120X10 टेबलेट
53	टेबलेट डाईक्लोप्लस	टी–123	79 टेबलेट
54	टेबलेट ओक्सीजिक फोर्ट	टी–1088	76 टेबलेट
55	टेबलेट डाईफेनिक	टी–156	20X10 टेबलेट
56	टेबलेट जेडेक एमआर	जेडआर–251	70 टेबलेट
57	लोपेरामाईट एचसीएल टेबलेट यूएसपी	टी–455	24X10 टेबलेट

सील्ड कार्टूनों को खोलने पर उनमे पाई गई उक्त दवाईयों फार्म नं0 16 प्रदर्श पी 5 अंकित औषधियों के विवरण के अनुसार सही है। गवाह पी.ड. 2 पवन कुमार ने अपने सशपथ बयानों में कथन किया है कि दिनांक 07.08.2001 को वह

सीएमएचओ कार्यालय हनुमानगढ़ में वाहन चालक के पद पर तैनात था। उस दिन सरकारी वाहन जीप नं0 आरजे–31–सी–1120 लेकर सुभाष चन्द्र डीआई व संतराम के साथ गांव अजीतपुरा गये थे। वे हनुमानगढ़ से सुबह करीब आठ साढे आठ बजे रवाना हुये थे। अजीतपुरा दोपहर दो–सवा दो बजे पहुंचे। अजीतपुरा में बजरंग मेडिकल स्टोर की दुकान पर डीआई व संतराम गये थे वह गाड़ी में बैठा रहा था। अजीतपुरा से वापस हनुमानगढ़ रात करीब 12 बजे के बाद आये थे। इसका उसने लॉग बुक में इन्द्राज किया था। लॉगबुक की प्रमाणित प्रति प्रदर्श पी 7 ए है जिस पर ए से बी सुभाष डीआई व सी से डी उसके साईन है। गवाह पी. ड. 3 संतराम की साक्ष्य अनुसार दिनांक 07.08.2009 को वह औषधि नियंत्रण अधिकारी कार्यालय में सहायक कर्मचारी के पद पर तैनात था। उस दिन सुभाष चंद्र डीआई के साथ जीप सरकारी नं आरजे 31–1120 से गांव अजीतपुरा गये थे। अजीतपुरा वे दोहपर को ढाई बजे पहुंचे थे। गांव अजीतपुरा मे बजरंग मेडिकल स्टोर पर गये तो दुकान में विनोद कुमार मिला। विनोद ने स्वयं को दुकान का मालिक बताया दुकान में एलोपैथिक दवाईयां रखी थी। विनोद कुमार के पास दवाई रखने व बेचने का कोई लाईसेंस नहीं था। विनोद कुमार के पास दवाईयां खरीदने का कोई बिल आदि नहीं था। दवाईयां विकय करने के लिए रखी हुई थी, लेकिन खरीद व विकय के बिल नहीं थे। डीआई ने दो स्वतंत्र गवाहान को बुलाया। वहां रखी हुई एलोपैथिक दवाईयों को दो कार्टूनों में डाला। दोनों कार्टूनों को सीलमोहर किया। मौका पर गवाहान व उसके साईन करवाये। फर्द प्रदर्श पी 5 व प्रदर्श पी 6 मौका पर बनाई जिस पर आई से जे उसके साईन है। कुल 57 दवाईयां सील की थी। गवाह पी.ड. 4 रामचंद की साक्ष्य अनुसार साक्ष्य दिये जाने से करीब 13–14 साल पहले की बात है। उनके गांव का विनोद सिंह उनके गांव में ही अपनी दुकान पर बजरंग मेडिकल स्टोर के नाम से दुकान खोलकर अंग्रेजी दवाई बेचता था जिसका उसके पास लाइसेंस नहीं था। जिसकी उसने औषधी निरीक्षक को दरख्वास्त दी जो प्रदर्श पी 3 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। उसकी शिकायत के 5–7 दिन बाद औषधी निरीक्षक व पुलिस वाले वहां आए और कार्यवाही की और विनोद की दुकान से अंग्रेजी दवाईयां जब्त की थीं। उस वक्त उन लोगों ने नाम बताए वह अनपढ है। उन अधिकारियों ने दवाईयों को एक डिब्बे में डालकर सील कर दिया और उनके कागज तैयार करके उन कागजों व डिब्बों पर उसके हस्ताक्षर करवाये। रिपोर्ट प्रदर्श पी 6 है पर ई से एफ उसके हस्ताक्षर है। मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट का फार्म 16 प्रदर्श पी 5 जिस पर जी से एच उसके हस्ताक्षर है, जो कुल 3 पेज में है और तीनों कागजों पर उसके

हस्ताक्षर है। उस वक्त वह डायरेक्टर था। पी.ड. 5 रामकुमार की साक्ष्य अनुसार विनोद कुमार पुत्र पूर्णसिंह का उनके गांव में बजरंग मेडिकल स्टोर के नाम से मेडिकल स्टोर है, जिसमें वह अग्रेजी दवाई शीशियां व पत्ते बेचता था। विनोद के पास दवाईयां बेचने बाबत कोई लाइसेंस नहीं था। इसकी शिकायत उनके गावं के उस वक्त के डायरेक्टर रामचंद ने की थी। तब दवाई विभाग वाले उनके गांव आये थे और उन्होंने विनोद की दुकान से अग्रेजी दवाई जब्त की थी। उनके कागजात तैयार किये थे। रिपोर्ट प्रदर्श पी 6 है जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट का फार्म नं0 16 प्रदर्श पी 5 है जो तीन पृष्ठों में है। तीनों पृष्ठों पर ई से एफ उसके हस्ताक्षर है। दवाई विभाग वाले उन दवाइयों को डिब्बे में सील करके साथ ले गये।

10. इस प्रकार परिवादी पक्ष के द्वारा जो गवाहान पेश किये गये हैं उनमे पी. ड. 1 सुभाषचंद औषधि निरीक्षक है जिसके द्वारा मौके की कार्यवाही की गई है। इसने अपने बयानों मे मौके पर की गई कार्यवाही का विवरण दिया है। साक्ष्य सफाई में पेश हुये गवाहान डी. ड. 1 ओमप्रकाश तथा डी. ड. 2 गुलाम मोहम्मद ने भी मौके की कार्यवाही के वक्त उपस्थित होना कहा है और औषधि निरीक्षक के द्वारा कार्यवाही कहा है। पी. ड. 2 पवन कुमार, पी.ड. 3 संतराम, पी.ड. 4 रामचन्द्र व पी. ड. 5 रामकुमार ने भी अपनी मुख्य परीक्षा में औषधि निरीक्षक के द्वारा बजरंग मेडिकल स्टोर पर कार्यवाही करना कहते हैं। यद्यपि जिरह में ये गवाहान कहते हैं कि कागजों में क्या लिखा था, उन्हें नहीं पता। परंतु इन गवाहान की साक्ष्य से यह साबित होता है कि मौके पर कार्यवाही की गई और मौके की फर्द प्रदर्श पी. 5 व प्रदर्श पी 6 तैयार की गई। पत्रावली पर इन दवाईयों का लाईसेंस अभियुक्त विनोद या वेदप्रकाश के पास रहा हो, ऐसा न तो किसी गवाह को सुझाव दिया गया है और न ही ऐसी कोई साक्ष्य पत्रावली पर आई है। जहां तक अभियुक्त विनोद के बयान मुलजिम में इस कथन का प्रश्न है कि इस दुकान पर स्वामी बजरंग था, इस संबंध में इसने डी.ड. 1 ओमप्रकाश व डी.ड. 2 गुलाम मोहम्मद को साक्ष्य सफाई में पेश किये हैं, जो अपने सशपथ बयानों में दुकान का मालिक बजरंग होना बताते हैं, परंतु इन गवाहान के कथन किसी प्रकार से सही नहीं माने जा सकते। इन गवाहान के द्वारा जो शपथ पत्र जांच के दौरान औषधि निरीक्षक को प्रदर्श पी 27/प्रदर्श डी.ड. 2 और प्रदर्श पी 29/प्रदर्श डी.ड. 1 पेश किये हैं। उन शपथ पत्रों में तो इस दुकान का स्वामी डॉक्टर वेदप्रकाश जो कि मौजूदा प्रकरण में सह–अभियुक्त है, उसे बताया है। जबकि अब साक्ष्य सफाई के दौरान ये गवाहान किसी बजरंग का होना बताते हैं तथाकथित बजरंग का न तो शपथ पत्र

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हनुमानगढ़ (राजस्थान)

पत्रावली पर पेश है और न ही वह व्यक्ति न्यायालय में साक्ष्य सफाई के गवाह के रूप में पेश हुआ है कि वह उक्त दुकान का स्वामी था और न ही ऐसा कोई सुझाव जब परिवादी पक्ष की साक्ष्य लेखबद्ध की गई, तब किसी गवाह को सुझाव दिया गया, अपितु पी.ड. 3 संतराम, पी.ड 4 रामचन्द्र व पी.ड. 5 रामकुमार के सशपथ कथनों में जिरह के दौरान यह सुझाव दिया गया कि यह दुकान डॉक्टर वेदप्रकाश की हो वेदप्रकाश ने अपने बयान मुल्जिम के दौरान गवाहान के कथनों को गलत बताते हुये यह कहा है कि यह दुकान मेरी नहीं है, बजरंग की दुकान है जबकि वेदप्रकाश के द्वारा पहले इस संबंध में औषधि निरीक्षक को स्वयं का शपथ पत्र प्रदर्श पी 14 पेश किया गया है और उसमें इस दुकान का स्वामी खुद को होना बताया है और जब्तशुदा दवाईयां भी स्वयं की होना बताया था। इसी प्रकार विनोद ने औषधि निरीक्षक के भेजे गये पत्र प्रदर्श पी 11 की पालना में जवाब प्रदर्श पी 13 पेश किया है, उसमें भी इस दुकान का स्वामी खुद को न बताकर डॉक्टर वेदप्रकाश को बताया है और अब जब वेदप्रकाश बयान मुल्जिम में उक्त कथन कह रहा है कि इस दुकान का स्वामी वह नहीं है, अपितु बजरंग है। यह कथन माने जाने योग्य प्रतीत नहीं होता। इस प्रकार विनोद जो अपने आपको इस दुकान का स्वामी होने के तथ्य से इंकार करता है। उसने भी मौके की कार्यवाही के दौरान फार्म नम्बर 16 प्रदर्श पी 5 की पुश्त पर बजरंग मेडिकल स्टोर के नाम से दवाईयों की दुकान चलाना कहा है। मौके की कार्यवाही पर भी विनोद के द्वारा हस्ताक्षर किये गये हैं। अगर वह इस दुकान को नहीं चला रहा होता और दवाईयां का विक्रय नहीं कर रहा होता, तो वह निश्चित रूप से हस्ताक्षर नहीं करता। औषधि निरीक्षक के निरीक्षण के वक्त विनोद का यह कथन था कि इस दुकान का स्वामी डॉक्टर वेदप्रकाश है और अब बयान मुल्जिम व साक्ष्य सफाई के वक्त अभियुक्त विनोद का कथन यह है कि इस दुकान का स्वामी बजरंग है जो स्पष्ट रूप से प्रतीत होता है कि दोनों अभियुक्तगण विनोद व वेदप्रकाश आपस में मिले हुये हैं और दोनों मिलकर ही इस दुकान को चलाते थे और बाद में दोनों अपने आपको बचाने के लिए अब बजरंग नामक व्यक्ति को इस दुकान का स्वामी होना बताते है। अतः पत्रावली पर आई साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि गांव अजीतपुरा में बजरंग मेडिकल स्टोर के नाम से अभियुक्त विनोद व वेदप्रकाश के द्वारा एलोपैथिक दवाईयों विक्रयार्थ हेतु संग्रहित व प्रदर्शित की गई और दवाईयों का विक्रय संग्रहित व प्रदर्शित करने हेतु इनके पास कोई लाईसेंस नहीं था। अतः अभियुक्तगण विनोद कुमार व वेदप्रकाश को आरोपित अपराध अंतर्गत औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 की धारा 27 (डी), 27 (बी) (II) तथा 28 में

12/8/15
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ़ (राजस्थान)

दोषसिद्ध किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

11. फलतः अभियुक्तगण विनोद कुमार व वेदप्रकाश मालिक फर्म मैसर्स बजरंग मेडिकल स्टोर को आरोपित अपराध औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 की धारा 27 (डी), 27 (बी) (II) तथा 28 के आरोप में दोषसिद्ध किया जाता है। अभियुक्तगण को सजा के बिन्दु पर अलग से सुना जायेगा।

12/8/15

(राजेश कुमार)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
हनुमानगढ़ जं.

सजा के बिन्दु पर

12. अभियुक्तगण को सजा के बिन्दु पर सुना गया। वकील अभियुक्तगण का कहना है कि अभियुक्तगण को अन्वीक्षा भुगतते काफी समय हो चुका है। पत्रावली पर अभियुक्त पर पूर्व दोषसिद्धि बाबत कोई साक्ष्य नहीं है। अतः अभियुक्तगण को अपराधी परिवीक्षा अधिनियम का लाभ दिया जावे। जबकि विद्वान सहायक लोक अभियोजक ने इसका विरोध करते हुये अभियुक्तगण को उचित कारावास से दण्डित किये जाने का निवेदन किया।

13. मैने विचार किया। पत्रावली का अवलोकन किया। यधपि अभियुक्तगण की पूर्व दोषसिद्धि बाबत कोई साक्ष्य पत्रावली पर नहीं है। अभियुक्तगण द्वारा बिना लाईसेंस के दवाईयों का कारोबार करना वास्तव में गंभीरता का विषय है। अगर इसकी ईजाजत दी जाये तो समाज में अराजकता फेल सकती है और हर व्यक्ति बिना लाईसेंस के ही व्यापार शुरू कर देगा और उसकी जिम्मेदारी भी नहीं रहेगी। अतः प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुये अभियुक्तगण को परिवीक्षा अधिनियम का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

आदेश

14. फलतः अभियुक्त विनोदसिंह पुत्र पूर्णसिह जाति राजपूत निवासी गांव पोस्ट ऑफिस अजीतपुरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ, अभियुक्त वेदप्रकाश शर्मा पुत्र शिवकुमार निवासी गांव पोस्ट ऑफिस अजीतपुरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ को औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 की धारा 27 (डी) के

दोषसिद्ध आरोप में प्रत्येक अभियुक्त को एक साल के साधारण कारावास और 10,000/—रूपये (दस हजार रूपये) के अर्थदण्ड, अदम अदायगी अर्थदण्ड एक माह के साधारण कारावास, औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 की धारा 27 (बी) (II) के दोषसिद्ध आरोप में प्रत्येक अभियुक्त को एक साल के साधारण कारावास और 10,000/—रूपये (दस हजार रूपये) के अर्थदण्ड, अदम अदायगी अर्थदण्ड एक माह के साधारण कारावास, औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 की धारा 28 के दोषसिद्ध आरोप में प्रत्येक अभियुक्त को तीन माह के साधारण कारावास से दण्डित किया जाता है। अभियुक्तगण की सभी सजाऐं साथ साथ चलेगी। अभियुक्तगण द्वारा पुलिस या न्यायिक अभिरक्षा में रही सजा को धारा 428 दण्ड प्रकिया संहिता के प्रावधान के अनुसार दण्ड में से समायोजित की जाये। अभियुक्तगण का सजा वारंट जारी हो। अभियुक्तगण को निर्णय की प्रति निःशुल्क दी जावे। अभियुक्तगण की नियमित उपस्थिति बाबत जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं।

(सतीश कुमार)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
हनुमानगढ।

15. निर्णय आज दिनांक 12.08.2015 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(सतीश कुमार)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
हनुमानगढ।